राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12611/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
लालचन्द शर्मा संस्कृत विधालय के पास, ग्राम पोस्ट भानपुरकलां, पाया कूकस, जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-5-17 के द्वारा ग्राम पंचायत अनोपपुरा की जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर द्वारा गठित कमेटी के आदेश दिनांक 18-4-17 की प्रति, गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा जांच में लिऐ गये बिन्दुओं का विवरण, लिये गये बयानों की प्रति, आदि 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 28-7-17 से सूचना का प्रेषण किया जा चुका है। आयोग से प्राप्त नोटिस के क्रम में पूर्व में भिजवाई गई सूचना की प्रति पुनः भिजवा दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के अनुक्रम में अभिलेखानुसार सूचना का प्रेषण कर दिया है परन्तु अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है।

7. प्रकरण के तथ्य एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना, शुल्क प्राप्त कर अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त